पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:– 436/2025

1. सलमान पुत्र फरीदखान
2.सोहेल खान पुत्र. फरीदमोहम्मद

} जाति मुसलमान निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम्

1 फरीद मोहम्मद पुत्र अलीशेर जाति मुसलमान निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2 शबनब बानो पुत्री फरीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 30/10/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– चक नं० 1 एस. आर. डबल्यू के खाता सं0 140/139 में कुल 4.492 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब0हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 1 एस. आर. डबल्यू के खाता सं0 140/139 में से फरीद मोहम्मद का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।